न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 46 ⁄ 2024 (उदयपुर आर्डर)

सांवरिया माईन्स एण्ड मिनिरल्स जरिये प्रोपराईटर 1. रतनलाल पिता मांगीलाल जी डांगी, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर, 2. पुष्करलाल पिता मांगीलाल जी डांगी, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. अनिल कुमार पिता मनोहरलाल जी जैन, निवासी खेतपालियों की सेहरी, नवा बाजार, देलवाड़ा, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. गोविन्दसिंह पिता हरिसिंह जी राव, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
3. तरूण पिता मणीलाल जी डागा (जैन), निवासी खेतपालियों की सेहरी, नवा बाजार, देलवाड़ा, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. दीपक पिता गणेशलाल जी चौहान (जैन), निवासी कटारिया गली, तेलीवाड़ा, देलवाड़ा, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. भूमिधारी तहसीलदार, घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
6. पटवारी हल्का रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
7. अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर जोन, उदयपुर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, सेक्टर नंबर 13, उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध

निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली

दिनांक 20.11.2024 प्र.सं. 121/2024

———/———

उपस्थित :– 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक रे.सं. 1 से 4

———::———

निर्णय   दिनांक 25–06–2025

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक [illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:42 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खाम की मादड़ी, तहसील घासा में आराजी नंबर 1710, 2347／1756 कुल किता 2 रकबा 7.1225 हैक्टर भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व अभिलेखों में हम प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। आराजी नंबर 1820 रकबा 2. 3876 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड में राज्य सरकार के नाम अंकित है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में आवागमन के लिए 30 फिट चौड़ा मार्ग मुख्य रास्ते से अर्थात किस्म रास्ता आराजी नंबर 1822 के पूर्वी दिशा में स्थित आराजी नंबर 1820 के उत्तरी भू–भाग पर खाड़ी पड़ी भूमि में सदीप से बना हुआ है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाता हुआ होकर प्रार्थीगण की आराजी नंबर 2347／1756 के पश्चिमी उत्तरी कोने के सटमा तक बना हुआ है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी नंबर 2347／1756 पर पहुंचने के लिए आराजी नंबर 1820 में अंकित भूमि पर संलग्न चिन्हिंत अनुसार 30 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20–11–2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 23–12–2024 को प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दिये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायलय ने आराजी नंबर 1820 में से 30 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश दिया है, जबकि आराजी नंबर 1820 के संबंध में अपीलान्ट ने खनन करने के लिए लीज पर ले रखी है तथा आराजी नंबर 1820 खनन क्षेत्र है, जिसमें से किसी को रास्ता नहीं दिया जा सकता, फिर भी रास्ते बाबत आदेश पारित कर दिया गया है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:42 IST
Reason: SelfAttested

जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के सम्मुख प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में माईनिंग लीज जारी होने से प्रकरण में प्रथम दृष्टया आवश्यक पक्षकार होना प्रकट होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना एवं सुने बिना निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। आराजी नंबर 1820 लीज खनन कार्य हेतु अपीलान्ट के नाम आवंटित की गयी है, जिसकी पालना में जमाबन्दी में इन्द्राज भी किया गया है, ऐसी स्थिति में खनन की भूमि में किसी को रास्ता देने का प्रावधान नहीं है तथा यह तथ्य पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग होने से आस–पास के क्षेत्र प्रभावित होने से उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, ऐसी स्थिति में खनन भूमि में जो रास्ता दिया गया है, वह उचित नहीं है। पटवारी एवं तहसीलदार ने रिपोर्ट के साथ जो नक्शा पेश किया है, वह अधूरा है, जबकि विवादित भूमि के पूर्व दिशा में आराजियात है, जिसके खातेदार भी पूर्व दिशा के रास्ते से ही आते जाते हैं। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपनी आराजी नंबर 1710 से भी रास्ते की मांग की है, लेकिन इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

7. उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि खनन एग्रीमेन्ट में रास्ते को डिस्टर्ब नहीं करने के संबंध में लिखा है। पूर्व रास्ते के ही मांग की गयी है, नया रास्ता नहीं मांगा गया है। वर्ष 2013 की रिपोर्ट में भी यही रास्ता दिखाया गया है। रास्ता पूर्व से ही चला आ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:42 IST
Reason: SelfAttested

रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का रास्ते बाबत् आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी नंबर 1710 एवं 2347/1756 में आने–जाने हेतु आराजी नंबर 1820 में से रास्ता चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा आराजी नंबर 1820 बिलानाम सरकार दर्ज है, जिसका रास्ते की तरह ही उपयोग हो रहा है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिलानाम आराजी नंबर 1820 में से रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है।

अपीलान्ट का कथन है कि आराजी नंबर 1820 लीज खनन कार्य हेतु अपीलान्ट के नाम आवंटित की गयी है, खनन की भूमि में ब्लास्टिंग का खतरा बना रहता है तथा खनन भूमि में रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अपीलान्ट/प्रार्थीगण के अपनी खातेदारी की आराजी नंबर 1710 पर भी रास्ता चाहा गया है, किन्तु उक्त आराजी नंबर बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया है। आराजी नंबर 2347/1756 के पास रेस्पोन्डेन्ट की अन्य भूमियां हैं, जहां पूर्व दिशा में रास्ता उपलब्ध है। अपीलान्ट ने अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज पेश किये हैं :–

(1) अपीलान्ट द्वारा खान विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 30.03.2024
(2) हस्तान्तरण संविदा
(3) फार्म नंबर 12 ट्रान्सफर ऑफ माईनिंग लीज
(4) खान विभाग का आदेश दिनांक 12.03.2024
(5) संविदा (1200/– रूपये के स्टाम्प पर)
(6) मॉडल फार्म ऑफ माईनिंग लीज
(7) खान विभाग का सीमांकन प्रतिवेदन
(8) खान विभाग द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 19.08.2013
(9) खान विभाग का आदेश दिनांक 10.04.2013
(10) अनुमोदित नक्शा
(11) तहसीलदार घासा की रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024
(12) पटवारी ह[illegible]क 13.11.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:42 IST
Reason: SelfAttested

(13) प्रस्तावित रास्ते का नक्शा

(14) मौका पर्चा दिनांक 13.11.2024

(15) रिपोर्ट तहसील राजस्व लेखाकार घासा बाबत् डी.एल.सी. गणना

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मॉडल फार्म ऑफ माईनिंग लीज के पार्ट IV में Liberties, Powers and Privileges reserved to the State Government के तहत To make railways and roads के तहत माईनिंग हेतु दी गयी भूमि में रोड़, रेल लाईन आदि के प्रावधान दिये गये हैं। यद्यपि माईनिंग लीज जारी होने के पश्चात जमाबन्दी में नोट भी लगता है, परन्तु तहसीलदार तथा पटवारी द्वारा इस बाबत् कोई रिपोर्ट नहीं की गयी है। धारा 251–ए रा.का.अ. के तहत रास्ते का प्रावधान है तथा माईनिंग लीज एरिया में भी रास्ता निकालने का प्रावधान लीज डाक्यूमेन्ट में वर्णित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने लीज डाक्यूमेन्ट तथा माईनिंग एरिया होने के तथ्य पर गौर किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया है। चूंकि खसरा नंबर 1820 बिलानाम है तथा उसमें माईनिंग लीज दी हुई है तथा इसका इन्द्राज भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 में किया हुआ है, जिनका पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक है। उक्त परीक्षण के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

9. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–11–2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन का पुनः परीक्षण करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18–06–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 25–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:42 IST
Reason: SelfAttested